

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(3)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 3 MAY 2016

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, भरतपुर में जिला न्यायाधीश स्तर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का सृजन व स्थापन करती है, एवं इसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है।

| क्र०सं० | अधिकरण का नाम                     | बैठक का स्थान | क्षेत्राधिकार राजस्व जिला  |
|---------|-----------------------------------|---------------|--|
| 1       | 2                                 | 3             | 4  |
| 1.      | मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर | भरतपुर        | भरतपुर जिला (डीग व बयाना के एम.ए.सी.टी. क्षेत्राधिकार को छोड़कर) |

राज्यपाल के आदेश से

*मनोज कुमार व्यास*  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव

No. General/II/9/92(S)/ 626

Dated : 05/5/2016.

Copy forwarded to the followings for information and necessary action:-

- 1.All Registrars of Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench. (Registrar Class./CPC with a request to upload the same on high court web site)
- 2.District Judge, Bharatpur.
- 3.M.A.C.T., Bharatpur.
- 4.C.J.M. Bharatpur.
- 5.All Administrative Sections of Rajasthan High Court, Jodhpur.

16/5/16  
REGISTRAR (RULES)

15/16